

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

तहसीलदार रामगढ़-शेखवाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी।  
 प्राप्ति की सूचना।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

Entered 9/11.6.18

2645  
14.6.18

ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
श्रीराम	93	राजस्थान राजस्थान राजस्थान	राजस्थान राजस्थान राजस्थान

ल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

प्राप्ति के खाला उक्तसी प्राधान पर एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट  
 तहसीलदार रामगढ़-शेखवाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये।

:- आदेश :-

पिठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम कोर्ट) कैम .....  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)